समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रं. ..../12

R-1446-PBR/12

श्रीमती चन्द्रकला, आयु लगभग 65 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द्र माहेश्वरी,
निवासी :– ई–7/193, एम.आई.जी.,
अरेरा कालोनी, भोपाल

.........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री बैनीप्रसाद,
(पुत्री सदाराम) निवासी :– ग्राम तारा सेवानियां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

2. श्रीमती बसंती बाई पत्नी श्री नथमल,
(पुत्री सदाराम) निवासी :– ग्राम कुठार,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

3. भगवान सिंह पुत्र सदाराम,
निवासी :– ग्राम चौपड़ा कलां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

4. श्रीमती मुलिया बाई पत्नी स्व. श्री सदाराम,
निवासी :– ग्राम चौपड़ा कलां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

5. मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर जिलाध्यक्ष महोदय, भोपाल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 38/निगरानी/11–12 (श्रीमती चन्द्रकला विरूद्ध श्रीमती शान्ति बाई व अन्य) ग्राम चौपड़ा कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मे पारित आदेश दिनांक 02/03/2012 से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्नलिखित ठोस तथ्यों एवं आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है :–

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि अनावेदकगण (शांति बाई व बसंती बाई) ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (हुजूर) के समक्ष एक अपील नामांतरण पंजी कमांक 204 आदेश दिनांक 02.11.1991 के विरूद्ध लगभग 20 वर्षो पश्चात् प्रस्तुत करी, अपील ज्ञापन के अनुसार उक्त पंजी द्वारा, ग्राम चोपड़ा कला,

R-1446-PBR/12

08-01-2019 आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

रीडर

[कृ. प. उ.